

दां०प्र०क्र०. 1557/2022

शासन वि० खेमन लाल साहू

Witness No.---02**---for ---अभियोजन साक्षी ...Deposition**

taken the 16/12/2024..day of ----सोमवार-----

Witness apparent age-58 वर्ष **--St ates on affirmaton.** शपथपत्र

My name is- कुमार पटेल **s/of -** श्री ठाकुर राम

occupation ---कृषक**-----**

Address थाना-मंदरौद, जिला-धमतरी छ०ग०

राज्य द्वारा श्री भूपेन्द्र डहरिया एडीपीओ।

01. मैं न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त खेमन लाल साहू को नहीं जानता पहचानता हूं। मैं आहत बलराम निषाद को नहीं पहचानता हूं। मैं मृतिका भारती पटेल एवं क्षमा निषाद को पहचानता हूं। भारती पटेल मेरी भतीजी थी। घटना का दिन, तारीख आज मुझे याद नहीं है। घटना को हुये करीबन दो साल हो रहे हैं। घटनास्थल खैरझिटी खार बेलोदी मार्ग की है।

02. घटना दिनांक को मेरी भतीजी किसी दूसरे के मोटर सायकल में बैठकर ग्राम हरदी तरफ से ग्राम मंदरौद अपने घर तरफ आ रही थी तब उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। मुझे घटना के बारे में जानकारी शाम के 6 बजे पता चली थी जिसपर से मैं मगरलोड का अस्पताल गया था। जहां मैंने देखा कि मेरी भतीजी की मृत्यु हो गई थी उसके साथ में एक और लड़की क्षमा निषाद की मृत्यु हो चुकी थी। मेरी भतीजी की मृत्यु ट्रैक्टर वाहन से हुई थी।

03. दुर्घटनाकारित वाहन के चालक ने किस प्रकार से वाहन चलाकर एक्सीडेंट किया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस वाले घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश साहू वास्ते अभियुक्त:-

04. यह कहना सही है कि दुर्घटनाकारित वाहन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

गवाह के हस्ताक्षर

वाचित/स्वीकृत।

सही/-

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद,
जिला धमतरी (छ 0 ग 0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/-

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद
जिला धमतरी (छ 0 ग 0)

दां०प्र०क्र०. 1557/2022

शासन वि० खेमन लाल साहू

Witness No.---01**---for ---अभियोजन साक्षी ...Deposition**

taken the 16/12/2024..day of ----सोमवार-----

Witness apparent age- 35 वर्ष **--St ates on affirmaton.** शपथपत्र

My name is- सालिक राम निषाद **s/of – श्री लतखोर निषाद**

occupation ----मजदूरी-----

Address थाना-मंदरौद, जिला-धमतरी छ०ग०

राज्य द्वारा श्री भूपेन्द्र डहरिया एडीपीओ।

01. मैं न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त खेमन लाल साहू को नहीं जानता पहचानता हूं। मैं आहत बलराम निषाद को नहीं पहचानता हूं। मैं मृतिका भारती पटेल एवं क्षमा निषाद को पहचानता हूं। क्षमा निषाद मेरी भतीजी थी। घटना का दिन, तारीख आज मुझे याद नहीं है। घटना को हुये करीबन दो साल हो रहे हैं। घटनास्थल का स्थान आज मुझे याद नहीं है।

02. घटना दिनांक को मेरी भतीजी किसी दूसरे के मोटर सायकल में बैठकर ग्राम हरदी तरफ से ग्राम मंदरौद अपने घर तरफ आ रही थी तब उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। मुझे घटना के बारे में जानकारी शाम के 6 बजे पता चली थी जिसपर से मैं मगरलोड का अस्पताल गया था। जहां मैंने देखा कि मेरी भतीजी की मृत्यु हो गई थी उसके साथ में एक और लड़की भारती पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। मेरी भतीजी की मृत्यु ट्रैक्टर वाहन से हुई थी।

03. दुर्घटना कारित ट्रैक्टर वाहन मगरलोड में खड़ी थी। ट्रैक्टर वाहन सोनालिका कंपनी की थी। मैंने मृतकगण के मृत्यु की सूचना थाना मगरलोड को दिया था मार्ग इंटीमेशन प्र०पी० 01 एवं 02 के अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। दुर्घटनाकारित वाहन के चालक ने किस प्रकार से वाहन चलाकर एक्सीडेंट किया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस वाले घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश साहू वास्ते अभियुक्त:-

04. यह कहना सही है कि मैंने घटना होते हुये नहीं देखा है । यह कहना सही है कि थाने में खड़ी दुर्घटनाकारित ट्रैक्टर को रात होने के कारण ठीक तरह से देख नहीं पाया था ।

गवाह के हस्ताक्षर

वाचित/स्वीकृत।

सही/-

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद,
जिला धमतरी (छ 0 ग 0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/-

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद
जिला धमतरी (छ 0 ग 0)